Sl No. 243

आर टी आई मामला/तत्काल

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 09/12/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ स्वामी असीमानंद [illegible] का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ स्वामी असीमानंद [illegible] के दिनांक 21/11/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में ~~.......द्वारा~~ दिनांक 27/11/2013 को प्राप्त) को आई.एस. संगठन को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त संगठन के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 27/11/2013 की रसीद सं. 27525 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी.पी.एल. श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

(हस्ताक्षर)
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (आई.एस.-I)
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ स्वामी असीमानंद [illegible]
उच्च सुरक्षा कक्ष,
मध्यवर्ती कारागार, तलोजा,
खारघर, नवी मुंबई-410210

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

RTI-243/Dir(IS-I)/13
11/12/13

Noted

RTI Act 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन (Regd. Post)

- HHJS- 567/RTI-M-IX / TCP-2013, दिनांक :- 21.11.2013

सेवार्थ,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001

[आवेदक का नाम व पत्ता]
अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ, शंकराचार्य, सर्वज्ञ शारदा पीठ,कश्मीर (J&K)
उच्च सुरक्षा कक्ष, मध्यवर्ती कारागार तलोजा, खारघर,नवी मुंबई - ४१०२१०

1213/RTI/2013
6/12/13

[सूचना से संबंधित विषय एवं कालावधि]
फोन टेप से संबंधित। वर्ष 2012-13 एवं 2013

[क्या सूचना चाहिए ?]

1. कृपया बताएं कि भारत में फोन टेप करने हेतु किन सुरक्षा/जांच/सतर्कता एजेंसियों को अधिकृत किया गया है? कृपया फोन टेप करने हेतु अधिकृत सभी एजेंसियों के नाम व पते उपलब्ध कराएं।
2- कृपया बताएं कि किन व्यक्तियों/संगठनों के फोन किन हालातों में टेप किए जाने का प्रावधान (स्थापित नियम/एक्ट के अनुसार) है? फोन टेप करने की अनुमति किस आधार व किसके अनुरोध पर, किस स्तर के अधिकारी द्वारा दी जाती है? फोन टेप करने की अनुमति कितने समय के लिए दी जाती है तथा इसे कितने समय के लिए कब तक बढ़ाया जा सकता है? टेप की रिकार्डिंग किसकी अभिरक्षा (custody) में कब तक रखी जाती है तथा इस रिकार्डिंग का दुरुपयोग न हो इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं? कृपया फोन टेप करने संबंधी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं।
3- कृपया बताएं कि फोन टेप करने के लिए किस नाम से कौन से उपकरण भारत में किस कंपनी द्वारा अधिकृत रूप से निर्मित किए जा रहे हैं? एवं कौन से उपकरण विदेश की किस कंपनी से आयात किए जा रहे हैं? इस प्रकार के कितने देशी/विदेशी उपकरण, भारत की किन एजेंसियों के पास कितनी संख्या में अधिकृत रूप से उपलब्ध हैं?

(SS-1)

कृपया बताएं कि वर्ष 2012 एवं 2013 में 30.11.13 तक सरकार द्वारा कुल कितने फोन टेप किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? एवं किस एजेंसी को ?

5- वर्तमान समय में कुल कितने फोनों की टेपिंग /निगरानी, किन एजेंसियों के द्वारा की जा रही है ? कृपया इन फोनों में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों /कर्मचारियों, व्यवसायिक घरानों /समूहों, सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा/खुफिया एजेंसियों व आतंकी संगठनों/व्यक्तियों के फोनों की अलग-अलग संख्या उपलब्ध कराएं।

6- क्या नीरा राडिया फोन टेप की अनुमति सरकार द्वारा दी गयी थी ? यदि नही तो इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

7- क्या फोन टेप हेतु अधिकृत एजेंसियों द्वारा MHA को इसकी कोई रिपोर्ट दी जाती है ? यदि हां तो उन रिपोर्टों की प्रति उपलब्ध कराएं।

8- MHA द्वारा फोन टेप के लिए अधिकृत एजेंसियों को वर्ष 2013 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों (Guidelines) की एक प्रति उपलब्ध कराएं।

9- कृपया बताएं कि फोन टेप के आधार पर किन घटनाओं को होने से बचाया/रोका जा सका, तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? व्यक्तिगत ईर्ष्या व द्वेष के कारण फोन टेप करने के कितने मामले सामने आये ?

नोट - कृपया उपरोक्त किसी भी सूचना हेतु किसी वेबसाईट का संदर्भ न दे क्योंकि कारागार में internet का प्रयोग संभव नही, अतः लिखित/मुद्रित सूचना ही भेंजे तथा यदि कोई सुचना या उसका भाग आपसे संबंधित न हो तो उसे RTI Act की धारा 6(3) अंतगर्त संबंधित विभाग को अंतरित कर मुझे सूचित कर दे.।

कृपया सूचना स्पीड पोस्ट/रजि.पो.से ही भेजें.

संलग्न :- RTI Act में निर्धारित शुल्क रु.10/- का भारतीय पोस्ट आर्डर क्रं. 10F 656015
कृपया नाम भर लें।

दिनांक :- 21.11.2013

स्थान :- तलोजा मध्यवर्ती कारागार

(आवेदक के हस्ताक्षर)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

/No. 27525

दिनांक 20
Dated 20

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km.

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ के दिनांक 20
with Letter No./Reference No. Dated 20

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No.

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्याक्षर / Initials

रूपये / Rs.

पदनाम / Designation

Reply of Sl. No. 243

RTI Matter
By Speed Post

No. II.20034/35/2013-IS.II/M
Government of India
Ministry of Home Affairs
(IS.I Division/IS.II Desk)

North Block, New Delhi,
Dated: 24 Dec , 2013

To

Shri Swami Amratanand Devtirath
High security cell, Central Jail, Taloja,
Kharghar, Navi Mumbai- 410210.

Sub: Application of Shri Swami Amratanand Devtirath seeking information under Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 21.11.2013 received in the office of undersigned on 11.12.2013 vide MHA OM No A-43020/01/2013-RTI dated 09.12.2013 on the above subject.

2. Para wise reply of information sought is as under:

Para 1: Following is the list of authorised Law Enforcement Agencies who can seek authorisation for Lawful Interception Monitoring under the provisions of Section 5(2) of Indian Telegraph Act 1885. Address of agencies is available in public domain/ may be seen on the official website of concerned Agencies.

- Central Agencies:
  - (i) Intelligence Bureau,
  - (ii) Narcotics Control Bureau,
  - (iii) Directorate of Enforcement,
  - (iv) Central Board of Direct Taxes,
  - (v) Directorate of Revenue Intelligence,
  - (vi) Central Bureau of Investigation,
  - (vii) National Investigation Agency,
  - (viii) Research & Analysis Wing (R&AW),
  - (ix) Directorate of Signal Intelligence, Ministry of Defence-for Jammu & Kashmir, North East & Assam Service Areas only.

- State Agencies:
  Director General of Police, of concerned state/Commissioner of Police, Delhi for Delhi Metro City Service Area only

Para 2: Interception of communication by authorized Law Enforcement Agencies (LEAs) is carried out in accordance with the provisions of Section 5(2) of Indian Telegraph Act 1885 and Indian Telegraph (Amendment) Rules 2007, which are available in public domain. Regarding direction from Hon'ble Supreme Court, it is

intimated that the relevant order issued by Hon'ble Supreme Court may please be quoted. However, these rules were modified in accordance with Hon'ble Supreme Court decision mainly in PUCL Vs UOI IN WRIT PETITION (C) No. 256 of 1991 dated 18.12.1996. This decision is available in public domain.

Para 3: The information sought vide para 3 relates to Department of Telecom which administers Indian Telegraph Act 1885. The RTI application in respect of these para is being transferred to Department of Telecom under Section 6(3) of RTI Act 2005.

Para 4: On an average, between 7500 to 9000 orders for interception of telephones are issued by Central Government per month. Further details cannot be provided as the information sought for comes under sub-section 1(a) and 1(g) of Section 8 of the RTI Act, 2005.

Para 5: The desired information is exempted from disclosure under Section 8(1) (a), and 8(1) (g) of the RTI Act 2005.

Para 6: The desired information is exempted from disclosure under Section 8(1) (a), 8(1) (g) and 8(1)(h) of the RTI Act 2005.

Para 7: The Central Law Enforcement Agencies submit monthly outcome reports, however further details cannot be provided as information sought is exempted from disclosure under sub-section 1(a) and 1(g) of Section 8 of the RTI Act, 2005.

Para 8: The desired information is exempted from disclosure under Section 8(1) (a), 8(1) (g) of the RTI Act 2005

Para 9: Authorized Law Enforcement Agencies (LEAs) can seek approval for Interception of Communication in accordance with the provisions of Section 5(2) of Indian Telegraph Act 1885. Details about the action taken against the persons are not compiled in this division. Applicant may approach the concerned Law Enforcement Agencies (LEAs) for these details.

3. It is informed that in case you are not satisfied with the reply, you can prefer an appeal within 30 days from the receipt of this communication to Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (Internal Security-I), Room No 197-B, North Block, Ministry of Home Affairs, New Delhi, who is the Appellate Authority in this case.

4. Hindi version will follow.

Yours faithfully,

(Rakesh Mittal)
Director (Internal Security-I) & CPIO

Copy to:

Shri R. Shakya, Director (S.II) & CPIO, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi for providing the reply to para 3 of the enclosed RTI application.